PIL Petition Filed before the Rajasthan High Court

The LAAC, in July 2016, had undertaken a primary field research study to assess the implementation of the Right of Children of Free and Compulsory Education, 2009 ('RTE Act') in the government schools of district Jodhpur in Rajasthan. The Committee after having due consultations with the stakeholders completed its study of 107 government schools in 11 blocks of the district.The aforesaid Study brought forth many infirmities in the implementation of RTE Act in Jodhpur. In light of this Study, members of LAAC have filed a Public Interest Litigation Petition ('PIL Petition') before the Hon'ble Rajasthan High Court, through which it has sought the assistance of the Court for the better implementation of the RTE Act in Jodhpur. The Petition has been admitted by the Division Bench. Click here to download writ document.

पत्रिका TV RAJASTHAN

दोपहर 1:00 आओ गांव चले
शाम 7:30 दिल है राजस्थानी
रात 9:30 राजस्थान टॉप न्यूज

आरटीई की अनदेखी पर केन्द्र और राज्य से जवाब तलब

जयपुर हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून की अनदेखी को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और राज्य के शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है।

जवाब के लिए छह जुलाई तक समय दिया है। न्यायाधीश गोविन्द माथुर और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खण्डपीठ ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर की विधिक सहायता व जागरुकता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। कमेटी की ओर से सोनाली खत्री व अन्य ने कोर्ट को बताया कि कमेटी के सदस्यों ने जुलाई 2016 में जोधपुर जिले के 11 ब्लॉक के 110 स्कूलों का सर्वे किया, तो पाया कि स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात शिक्षा का कानून में तय मापदण्डों के अनुसार नहीं है।